2006:CGHC:5117

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र.1275/2004

याचिकाकर्ता प्रमोद शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक– 27–06–2006

हस्ताक्षरित

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र.1275/2004

याचिकाकर्ता प्रमोद शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति **सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

श्री अनुराग श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता तथा श्री आई.एन. श्रीवास्तव पैनल अधिवक्ता, उत्तरवादी क्र.1 से 4 की ओर से।

श्री रवीश वर्मा, उत्तरवादी क्र. 5 और 6 के अधिवक्ता।

श्री रतन पुष्टी, उत्तरवादी क्र. 7 के अधिवक्ता।

आदेश

(27 जून, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश** द्वारा पारित किया गया।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत, यह वर्तमान याचिका आदेश क्रमांक एफ 1–26/2003/42 दिनांकित 28.2.2004 को आक्षेपित करती है, जिसके तहत **छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा तीन वर्षीय संविदा सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2002** (जिसे आगे 'नियम 2002' कहा जाएगा) को संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार संशोधन के उपरांत नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक व्याख्याताओं की नियुक्ति परीक्षा/परीक्षण के प्रावधानों से गुजरे बिना की जा सकेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने एक विज्ञापन (प्रदर्श पी/2) प्रकाशित किया, जिसमें इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर व्याख्याता/एडब्ल्यूएस/प्रोग्रामर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि उक्त पदों पर भर्ती विद्यमान नियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2003 अधिसूचित की गई थी। याचिकाकर्ता ने अन्य उम्मीदवारों के साथ व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता को दिनांक 7.2.2004 (प्रदर्श पी / 3) का बुलावा पत्र जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 16.2.2004 को सुबह 10 बजे इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर में साक्षात्कार के लिए

उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। याचिकाकर्ता, अन्य लोगों के साथ, 16.2.2004 को साक्षात्कार में उपस्थित हुआ।

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता का नाम चार उपलब्ध सीटों के लिए मेरिट सूची में क्रमांक 3 पर था।

4. नियुक्ति के संबंध में याचिकाकर्ता को भेजे गए पत्र में पाया गया कि उत्तरवादी क्र. 5, 6 और 7, जो अंशकालिक व्याख्याता के रूप में काम कर रहे थे, नियम 2002 के नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक परीक्षा/साक्षात्कार से गुजरे बिना ही, दिनांक 28.2.2004 के आक्षेपित आदेश (प्रदर्श पी/1) के आधार पर नियुक्त कर दिए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस याचिका में आदेश दिनांक 28.2.2004 को चुनौती दी है और उत्तरवादी क्र. 5, 6 और 7 की व्याख्याता के पद पर नियुक्ति को असंवैधानिक, अवैध और नियम 2002 के विपरीत बताते हुए इसे अभिखंडित करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ परमादेश रिट के लिए भी प्रार्थना की है ताकि चयन सूची के आधार पर परिणाम घोषित किया जा सके और याचिकाकर्ता को तदनुसार नियुक्त किया जा सके।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 28.2.2004 के आदेश (प्रदर्श पी/1) के आधार पर उत्तरवादी क्र. 5,

6 और 7 की नियुक्ति विद्यमान नियम, 2002 के प्रावधानों के विपरीत है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कार्यकारी आदेश अवैध है क्योंकि यह नियम, 2002 के प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए उत्तरवादी क्र. 5, 6 और 7 की नियुक्ति अवैध, असंवैधानिक और विधि के प्रतिकूल है।

7. इसके विपरीत उत्तरवादी क्र. 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री वी.वी.एस. मूर्ति और विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री आई.एन. श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही याचिकाकर्ता का नाम चयन सूची में शामिल हो। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28.2.2004 का आदेश (प्रदर्श पी/1) राज्य शासन का एक नीतिगत निर्णय था जिसका सार्वजनिक उद्देश्य अंशकालिक व्याख्याताओं को पूर्णकालिक पदों के विरुद्ध सीधे नियमित रूप से नियुक्त करके लाभ प्रदान करना था। इसलिए दिनांक 28.2.2004 के आदेश में कोई गलती नहीं पाई जा सकती।

8. उत्तरवादी क्र. 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवीश वर्मा और उत्तरवादी क्र. 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रतन पुस्ती ने तर्क दिया कि उत्तरवादी क्र. 5 से 7 के लिए नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक परीक्षा का सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे लंबे समय से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अंशकालिक व्याख्याता के रूप में काम कर रहे थे। दिनांक 28.2.2004 के आदेश को विधेयक्त का प्रारूप माना जा सकता है जिसके कारण राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.5.2004 द्वारा नियम 2002 में संशोधन किया गया। उत्तरवादी क्र. 5, 6 और 7 की नियुक्तियां विधि के अनुकूल हैं और राज्य/उत्तरवादीगण को नीतिगत निर्णय लेने और जनहित के लिए कार्यकारी निर्देश/आदेश लागू करने का पूर्ण अधिकार है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा याचिका और जवाब के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन मई, 2003 से पहले किया गया था, क्योंकि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2003 थी। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नियुक्तियां विद्यमान नियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। दिनांक 28.2.2004 के आदेश के आधार पर उत्तरवादी क्र. 5, 6 और 7 की नियुक्ति नियम 2002 के प्रावधानों के विपरीत थी क्योंकि उत्तरवादी क्र. 5, 6 और 7 के साथ ही अन्य उम्मीदवार जो अंशकालिक व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे, उन्हें नियम 2002 के नियम 4 के तहत निर्धारित परीक्षा/साक्षात्कार से गुजरे बिना नियुक्त किया गया था।

10. उत्तरवादी क्र. 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है कि आदेश दिनांकित 28.2.2004, जो माना कि नियम 2002 के प्रावधानों के विपरीत था, परंतु एक नीतिगत निर्णय तथा विधेयक के प्रारूप की प्रकृति में है, वह निरर्थक है और विधि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसलिए, उत्तरवादी क्र. 5, 6 और 7 की नियुक्ति अवैध है और विधि के प्रतिकूल है।

11. नियम 2002 के तहत तथाकथित संशोधन 28.2.2004 के आक्षेपित आदेश (प्रदर्श पी/1) के काफी समय बाद 25.5.2004 की अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 6.5.2004 के आदेश (प्रदर्श आर–7/2) के तहत उत्तरवादी क्र. 5 से 7 की नियुक्ति की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. **पी. महेंद्रन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य** {(1990) 1 एससीसी 411} के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:–

> "11. ....यह सत्य है कि किसी अभ्यर्थी को केवल आवेदन करने से पद पर कोई अधिकार नहीं मिल जाता, परंतु विज्ञापन की शर्तों और विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार पद के लिए विचार किए जाने का उसके पक्ष में एक अधिकार अवश्य ही निर्मित होता है। यदि कोई अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में किसी पद के लिए भर्ती नियमों के अनुसार आवेदन करता है, तो उसे

तत्कालीन विद्यमान नियमों के अनुसार चयन के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार किसी भी नियम के संशोधन से प्रभावित नहीं हो सकता, जब तक कि संशोधित नियम भूतलक्षी प्रभाव न रखता हो। वर्तमान मामले में आयोग ने तत्कालीन विद्यमान नियमों के अनुसार कार्य किया था और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी नियुक्ति के लिए पात्र थे, उनका चयन भर्ती नियमों का उल्लंघन नहीं था..."

13. सर्वोच्च न्यायालय ने **एन. टी. डेविन कट्टी और अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग और अन्य** {(1990) 3 एससीसी 157} के पैरा 13 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13. वाई.वी. रंगैया बनाम न्यायाधीश. श्रीनिवास राव मामले में पदोन्नति द्वारा भर्ती से संबंधित इसी प्रकार का प्रश्न उठा था। प्रश्न यह था कि क्या पदोन्नति रिक्तियों के होने की तिथि को लागू नियमों के अनुसार की जानी चाहिए या संशोधित नियमों के अनुसार। न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया। (एससीसी पृष्ठ 289, पैरा 9)

"संशोधित नियमों से पहले हुई रिक्तियों पर पुराने नियमों का पालन होगा, संशोधित नियमों का नहीं। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने स्वीकार किया था कि

उप–रजिस्ट्रार ग्रेड ॥ के पद पर पदोन्नति क्षेत्रीय आधार पर नए नियमों के अनुसार होगी, न कि राज्यव्यापी आधार पर और इसलिए, नए नियमों को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन सवाल संशोधित नियमों से पहले हुई रिक्तियों को भरने का है। हमें इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं है कि संशोधित नियमों से पहले खाली हुए पद पुराने नियमों के अनुसार होंगे, न कि नए नियमों के अनुसार।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पी. गणेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। ए.ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि एक वैधानिक नियम या सरकारी आदेश तब तक भविष्यलक्षी प्रकृति का होता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा भूतलक्षी प्रभाव के लिए नहीं बनाया गया हो। जहां विज्ञापन जारी करके चयन के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है, वहां चयन को सामान्य रूप से तत्कालीन विद्यमान नियमों और शासकीय आदेशों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए और चयन लंबित रहने के दौरान नियमों या शासकीय आदेश के किसी भी संशोधन का प्रभाव चयन–प्राधिकारी या लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयन की वैधता पर नहीं पड़ना चाहिए, जब तक कि संशोधित नियम या संशोधित शासकीय आदेश, जो अपनी वैधानिक शक्ति के प्रयोग में या तो स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक

इरादे से यह इंगित न करें कि संशोधित नियम लंबित चयनों पर लागू होंगे। पी महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य देखें।”

14. **ए.के. भटनागर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** ((1991) 1 एससीसी 544) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 13 में निम्नानुसार अवलोकन किया:–

“13. इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर भारत संघ एवं राज्य सरकारों को यह संकेत दिया है कि एक बार नियम बना लेने के बाद, उन नियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों की कार्रवाई नियमों द्वारा विनियमित होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए नियम बंधनकारी प्रभाव के होते है। नियमों के विपरीत कार्य करने से अनावश्यक समस्या और अव्यवस्था होती है। बहुत बार शासन स्वयं अपनी गलतियों या नियमों में दिए गए प्रावधानों के परे जाकर कार्य करने के कारण फंस जाती हैं। हम इन त्रुटियों को गंभीरता से लेते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि केंद्र और राज्य शासन इस स्थिति पर ध्यान देंगी और अपने नियमों के विपरीत तरीके से कार्य करने से बचेंगी। वाद–व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **गोपाल कृष्ण रथ बनाम एम.ए.ए. बेग (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधी और अन्य** ((1999) 1 एससीसी 544) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 6 में निम्न प्रकार से अवलोकन किया:–

> "6. जब चयन प्रक्रिया वास्तव में शुरू हो गई है और आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योग्यता के संबंध में आवश्यकताओं में कोई भी बाद में परिवर्तन पहले से शुरू हो चुकी चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। अन्यथा इसमें नई योग्यताओं के साथ एक नया विज्ञापन जारी करना शामिल होगा। पी. महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया: (एससीसी पृष्ठ 416, पैरा 5)
>
> > "5. यह सुस्थापित नियम है कि प्रत्येक विधि या वैधानिक नियम तब तक भविष्यलक्षी होता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा भूतलक्षी प्रभाव के लिए नहीं बनाया जाता है।"

न्यायालय ने आगे अवलोकन किया:

> "चूंकि संशोधित नियम भूतलक्षी नहीं थे, इसलिए यह उन उम्मीदवारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता था जो पद के लिए आवेदन करने की तिथि पर चयन और नियुक्ति के लिए योग्य थे, इसके अलावा चूंकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संशोधित नियम लागू होने के समय चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए संशोधित नियम उन उम्मीदवारों के मौजूदा अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते थे जिन पर चयन के लिए विचार किया जा रहा था क्योंकि उनके पास संशोधन से पहले नियमों द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं थीं।”

16. **भारत संघ द्वारा पांडिचेरी सरकार और अन्य बनाम वी. रामकृष्णन एवं अन्य** {(2005) 8 एससीसी 394} के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 28 में निम्नानुसार अवलोकन किया:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

“28. संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के के अंतर्गत बनाए गए वैध नियम तब तक प्रभावी रहते हैं, जब तक उक्त नियमों को निरसित या प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता। इसलिए, जब इसके विपरीत नियम लागू हों, तो यह विधेयक का प्रारूप पदोन्नति प्रदान करने का आधार नहीं बन सकते। यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि अब्राहम जैकब, विमल कुमारी और गुजरात किशन मजदूर पंचायत में यह सिद्धांत कि विधेयक का प्रारूप वहां लागू होगा, जहां मामले को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं हैं और भर्ती संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत विभागीय निर्देशों या कार्यकारी आदेशों द्वारा शासित होती है।”

17. हाल ही में, **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य** {(2006) 4 एससीसी 1} के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

> "6. ....सामान्यतः, वैधानिक नियम रोजगार को नियंत्रित करने वाले विधि के प्राधिकार के तहत बनाए जाते हैं। यह माना गया है कि विधि के प्राधिकार के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों के स्थान पर किसी आदेश, अधिसूचना या परिपत्र को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है, क्योंकि किसी अन्य तरीके का अनुसरण करना विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि यह संवैधानिक योजना के तहत सिविल सेवकों को दिए गए कार्यकाल की सुरक्षा और समानता के अधिकार से वंचित करेगा। यह स्वीकृत सेवा न्यायशास्त्र को नकारने के बराबर भी हो सकता है। इसलिए, जब संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत वैधानिक नियम बनाए जाते हैं, जो कि संपूर्ण हो, तो एकमात्र उचित तरीका इस प्रकार बनाए गए नियमों के आधार पर नियुक्तियां करना है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपर्युक्त कारणों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण, उत्तरवादी क्र. 5, 6 और 7 के पक्ष में आदेश दिनांकित 28.2.2004 (प्रदर्श पी/1) के आधार पर पारित नियुक्ति आदेश दिनांकित 6.5.2004 (प्रदर्श आर–7/2) को नियम, 2002 के

प्रावधानों के विपरीत होने के कारण रद्द किया जाता है। उत्तरवादी क्र. 1 से 4, अभ्यर्थियों की चयन सूची के आधार पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति के न्यायसंगत होने पर विचार कर सकते हैं।

19. तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Shubhangi Sahu